



मैत्रेयी महाविद्यालय

MAITREYI COLLEGE

(दिल्ली विश्वविद्यालय)

(UNIVERSITY OF DELHI)

बापू धाम परिसर, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली – ११००२१

Bapu Dham Complex, Chanakyapuri, New Delhi – 110021

College Website: <http://maitreyi.ac.in>

Phone No. : 9311331434

Email ID: [Maitreyi1967@yahoo.co.in](mailto:Maitreyi1967@yahoo.co.in)

ऐसे मामले में जहां पति और पत्नी दोनों विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध कॉलेज या अन्यत्र कर्मचारी हैं, चिकित्सा व्यय/अस्पताल में भर्ती शुल्क की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए संयुक्त घोषणा (JOINT DECLARATION FOR CALMING REIMBURSEMENT OF MEDICAL EXPENSES/ HOSPITALIZATION CHARGES IN CASE WHERE BOTH HUSBAND AND WIFE ARE EMPLOYEE IN THE UNIVERSITY AND ITS AFFILIATED COLLEGE OR ELSEWHERE)

नाम, पता एवं पद (Name and address with designation): \_\_\_\_\_

एवं मेरे पति पत्नी का /नाम, पता एवं पद [And my husband/wife(Name and address with designation)] \_\_\_\_\_

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि मैं/मेरा/मेरी पत्नी/पति केवल एल.टी.सी., चिकित्सा व्यय/अस्पताल में भर्ती शुल्क एवं ओ.पी.डी. विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित औषधालय में उपचार की प्रतिपूर्ति के लिए दावा पसंद करेंगे। I hereby declare that I/My wife/husband will only prefer the claim for L.T.C., reimbursement of medical expenses/hospitalization charges and O.P.D. treatment in the dispensary, approved by the University.

पत्नी के हस्ताक्षर (Signature of the Wife)

पति के हस्ताक्षर (Signature of the Husband)

पत्नी के नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित  
(To be signed by the employer of Wife)

पति के नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित  
(To be signed by the employer of Husband)

प्राचार्या के हस्ताक्षर  
Signature of the Principal

**विशेष टिप्पणी :** "परिवार के सदस्यों की घोषणा" के लिए आवश्यक प्रोफार्मा विधिवत भरकर और हस्ताक्षरित करके आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रिंसिपल के कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। एक प्रति पत्नी के कार्यालय में रखी जानी है और दूसरी प्रति पति या इसके विपरीत पति के कार्यालय में रिकॉर्ड के लिए रखी जानी है। **Important Note:** The required proforma for "Declaration of Family Members" duly filled in and signed should be submitted to the office of the Principal's Office for further necessary action. A copy is to be retained in the office of the wife and other copy is to be retained by the office of the Husband or Vice-Versa for records.